राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1769 / 2016 / जयपुर.
2. अपील संख्या – 1770 / 2016 / जयपुर.

मैसर्स दीपक एन्टरप्राजेज,
95 अजमेर रोड, जयपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग,
विशेष वृत–चतुर्थ, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक ....व्यवहारी की ओर से.
श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक
........विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29 / 06 / 2017

निर्णय

व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर के समक्ष रा.मू.प.क.अ., 2003 की धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत स्थगन आवेदन प्रार्थना पत्रों को आंशिक रुप से स्वीकार किये जाने के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी जिसमें वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिये सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विशेष वृत–चतुर्थ ,जयपुर द्वारा दिनांक 19.05.2016 को पारित आदेशों में सृजित मांग की वसूली को अपील निर्णय तक स्थगित किये जाने का आवेदन किया गया था परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 18.07.2016 से आंशिक स्थगन दिया गया था।

अपील के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह परिज्ञान में लाया गया कि उक्त स्थगन आवेदनों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 176 / 2016–17 एवं 177 / 2016–17 को अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2017 के संयुक्त आदेश से निष्पादन कर प्रकरणों को प्रतिप्रेषित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में कोई मांग बकाया न रहने से उक्त अपीलें सारहीन हो चुकी है। अतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को खारिज किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

के.एल.जैन
सदस्य

खेमराज
अध्यक्ष